न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 76/2017 अपील

श्री राजेन्द्र पिता रामलक्ष्मण घारू निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 941/2016 निर्णय दिनांक 16.11.2016

उपस्थित –

श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 941/2016 निर्णय दिनांक 16.11.2016 के खिलाफ दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम धांधोला पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 1577/680 रकबा 4.00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करना बता उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्व हैं । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिचार सरकारी भूमि पर नहीं किया गया हैं, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम धांधोला पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर में श्री धन्नाराम पिता मोहनलाल कालबेलिया को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा बजरिये मिशल दिनांकित 01.07.1972 को आराजी नं. 687 में से 05 बीघा भूमि आवंटित की गयी । आवंटन के पश्चात् जिस स्थल पर धन्नाराम को कब्जा सुपुर्द किया गया , उसी जगह पर धन्नाराम निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के नवीन

बटा नम्बर 1398/687 बने । उक्त आराजी को धन्नाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 30.04.2013 से अपीलार्थी ने सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त किया । अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाद करने पर अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि धन्नाराम को आराजी नं. 687 में से 5 बीघा भूमि आवंटित हुयी थी, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा धन्नाराम को आराजी नं. 680 में कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उसी जगह राजस्व नक्शे में फिट किया गया । अपीलार्थी ने इस संबंध में घोषणा बाबत् एक वादपत्र उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं, जो जैर कार्यवाही हैं एवं उक्त वादपत्र में अपीलार्थी के अधिकारों का निर्धारण होना है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुने बिना उक्त निर्णय कर दिया । अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब भी प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसका अंकन न तो आदेशिका में किया , न ही निर्णय में किया । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के बयान नही लिए और न ही अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर ही प्रदान किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना मनमकसूद तौर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट एवं मोगम है तथा स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। । अपीलार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.02.2017 को हुई तथा अपीलार्थी को दिनांक 27.02.2017 को नकले प्राप्त होने पर अपील अविलम्ब प्रस्तुत की । विलम्बित अवधि को क्षम्य कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से

अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धांधोला पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 1577/680 रकबा 4.00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करना बता उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्व हैं । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिचार सरकारी भूमि पर नहीं किया गया हैं, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम धांधोला पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर में श्री धन्नाराम पिता मोहनलाल कालबेलिया को तहसीलदार जहाजपुर द्वारा बजरिये मिशल दिनांकित 01.07.1972 को आराजी नं. 687 में से 05 बीघा भूमि आवंटित की गयी । आवंटन के पश्चात् जिस स्थल पर धन्नाराम को कब्जा सुपुर्द किया गया , उसी जगह पर धन्नाराम निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के नवीन बटा नम्बर 1398/687 बने । उक्त आराजी को धन्नाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 30.04.2013 से अपीलार्थी ने सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त किया । अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाद करने पर अपीलार्थी ने राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि धन्नाराम को आराजी नं. 687 में से 5 बीघा भूमि आवंटित हुयी थी, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा धन्नाराम को आराजी नं. 680 में कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उसी जगह राजस्व नक्शे में फिट किया गया। अपीलार्थी ने इस संबंध में घोषणा बाबत् एक वादपत्र उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं, जो जैर कार्यवाही हैं एवं उक्त वादपत्र में अपीलार्थी के अधिकारों का निर्धारण होना है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुने बिना उक्त निर्णय कर दिया । अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब भी प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसका अंकन न तो आदेशिका में किया , न ही निर्णय में किया । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पटवारी हल्का के बयान नही लिए और न ही अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर ही प्रदान किया ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर शाहपुरा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना मनमकसूद तौर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट एवं मोगम है तथा स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। । प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार घारू निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर के द्वारा ग्राम धांधोला की सरकारी बिलानाम आराजी नं. 1577/680 रकबा 16.08 बीघा भूमि किस्म पड़त ा में से 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 941/2016 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर राजेन्द्र कुमार घारू द्वारा अतिक्रमण करने के कारण शास्ति 100/—रू. से दिनांक 16.11.2016 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम धांधोला तहसील जहाजपुर की सरकारी बिलानाम आराजी नं. 1577/680 रकबा 16.08 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म पड़त ा दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 1577/680 में रकबा 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होने से 100/— शास्ति आरोपित की गयी । अपीलार्थी ने धन्नाराम को पटवारी हल्का द्वारा आराजी नं. 680 में कब्जा सुपुर्द करने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं । जबकि धन्नाराम को आराजी नं. 687 में भूमि आवंटन होना अपीलार्थी ने स्वयं अपनी अपील मेमों में अंकित किया हैं । आराजी नं. 680 सरकारी बिलानाम भूमि होकर किस्म पड़त ा भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1577/680 रकबा 16.08 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर

लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त सरकारी बिलानाम पड़त ाा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 941/2016 निर्णय दिनांक 16.11.2016 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.11.2016 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.5.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)